


राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, मिड-डे-मील कार्यक्रम

कमरा न. 3,4,5 मुख्य प्रशासनिक भवन,
शिक्षा संकुल, जे0एल0एन मार्ग, जयपुर-302017
सम्पर्क : 0141 – 2701694, 2701960 (टेली/फैक्स)
ई मेल-rajmdm@rediffmail.com



क्रमांक: एफ 4(220) प्रा.शि./एमडीएम/दिशा-निर्देश/2020-21/ 39

दिनांक : 4/06/2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा,
जिला-समस्त।

विषय :- भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशक (मिड डे मील) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 1-2/2018-Desk (MDM) Dated 14th April, 2020 द्वारा भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

क्र. सं.	स्तर	पूर्व की दर (प्रति छात्र प्रति दिन)	संशोधित दर (प्रति छात्र प्रति दिन)
1.	प्राथमिक	4.48	4.97
2	उच्च प्राथमिक	6.71	7.45

अतः आप उपरोक्तानुसार संशोधित दरों के अनुसार भोजन पकाने की लागत (कुकिंग कन्वर्जन) मद में संबंधित संस्थानों/विद्यालयों को जारी करने का श्रम करें। संशोधित दरें 01.04.2020 से प्रभावी होंगी।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 152000385 दिनांक 29.05.2020 की सहमति से जारी किये जाते हैं।


आयुक्त

मिड डे मील

क्रमांक: एफ 4(220) प्रा.शि./एमडीएम/दिशा-निर्देश/2020-21/ 39

दिनांक : 4/06/2020

प्रतिलिपि :- जिला कलक्टर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



अति. आयुक्त
मिड डे मील